"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2015—आश्विन 17, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहन वसन्त परमानंद (Mohan Vasant Parmanand) आत्मज स्व. श्री वसन्त परमानंद (Vasant Parmanand) उम्र 60 वर्ष, निवासी- एम. आई. जी. 72-सी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, टाटीबंध रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज एवं सेवा पुस्तिका में मेरा नाम मोहन वसन्त परमानंद आत्मज स्व. श्री वसन्त परमानंद अंकित है जबकि मेरे पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई. डी. में मोहन परमानंद आत्मज स्व. श्री वसन्त परमानंद अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहन परमानंद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मोहन परमानंद आत्मज स्व. श्री वसन्त परमानंद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मोहन वसन्त परमानंद (Mohan Vasant Parmanand) आत्मज स्व. श्री वसन्त परमानंद निवासी- एम. आई. जी. 72-सी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, टाटीबंध रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)	मोहन परमानंद (Mohan Parmanand) आत्मज स्व. श्री वसन्त परमानंद निवासी- एम. आई. जी. 72-सी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, टाटीबंध रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमन अग्रवाल आत्मज श्री अशोक अग्रवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी-क्रांति नगर बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम अमन अग्रवाल आत्मज श्री अशोक अग्रवाल है तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पासपोर्ट, वोटर आई. डी. में मेरा नाम अमन अग्रवाल लिखा गया है किन्तु जब मैं दो वर्ष का नाबालिग था उस समय मुझे अंकित उर्फ चिका घरेलू नाम से पुकारा जाता था तथा यही नाम मेरे पिता ने वली की हैसियत से मौजा तिफरा, प. ह. नं. 23, रा. नि. मं. एवं तहसील बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा में ख. नं. 754, 755 क्षेत्रफल क्रमशः 0.97, 0.36 एकड़ भूमि क्रय किया था उक्त विक्रय पत्र में मेरा घरेलू नाम अंकित उर्फ चिका दर्ज किया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अमन अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अमन अग्रवाल आत्मज श्री अशोक अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अंकित उर्फ चिका आत्मज अशोक अग्रवाल निवासी-क्रांति नगर बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)	अमन अग्रवाल आत्मज अशोक अग्रवाल निवासी-क्रांति नगर बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती भानमती पति श्री गुलजार, आयु 47 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.-12/जी, सड़क 5, सेक्टर 4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक में मेरा नाम भानमती दर्ज है जो कि मेरा वास्तविक नाम है जबकि मेरे पति श्री गुलजार के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश भानुमती दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम भानमती रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे भानमती पति श्री गुलजार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
भानुमती (Bhanumati) पति-श्री गुलजार निवासी-क्वाटर नं.-12/जी, सड़क 5, सेक्टर 4, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	भानमती (Bhanmati) पति-श्री गुलजार निवासी-क्वाटर नं.-12/जी, सड़क 5, सेक्टर 4, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोशन लाल वर्मा आत्मज स्व. श्री पूरनलाल वर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी-ग्राम कुम्ही, पोस्ट बारगांव, तह. बेरला, जिला बेमेतरा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक शाला अभिलेखों में मेरा नाम टेक सिंह वर्मा पिता पूरनलाल वर्मा अंकित है तथा इसी नाम से जाना, पहचाना व संबोधित किया जाता है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रोशन लाल वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रोशन लाल वर्मा आत्मज स्व. श्री पूरनलाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

टेक सिंह वर्मा
पिता-स्व. श्री पूरनलाल वर्मा
निवासी-ग्राम कुम्ही, पो. आ. बारगांव,
तहसील बेरला, जिला बेमेतरा (छ. ग.)

नया नाम

रोशन लाल वर्मा
पिता-स्व. श्री पूरनलाल वर्मा
निवासी-ग्राम कुम्ही, पो. आ. बारगांव,
तहसील बेरला, जिला बेमेतरा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सरोज अग्रवाल पति श्री आशीष अग्रवाल, आयु 43 वर्ष, निवासी-गीता नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय दस्तावेज, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पास बुक में मेरा नाम श्रीमती सरोज अग्रवाल पति श्री आशीष अग्रवाल दर्ज है जो कि सही है जबकि मेरे पुत्र आशुतोष अग्रवाल के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से दसवीं के परीक्षा उत्तीर्ण किये मार्कशीट अनुक्रमांक (रोल नं.) 6152301 में त्रुटिवश मेरा नाम श्रीमती पूनम अग्रवाल दर्ज हो गया है जो कि असत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सरोज अग्रवाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सरोज अग्रवाल पति श्री आशीष अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पूनम अग्रवाल
पति-श्री आशीष अग्रवाल
निवासी-चौबे कालोनी, गीता नगर
रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

सरोज अग्रवाल
पति-श्री आशीष अग्रवाल
निवासी-चौबे कालोनी, गीता नगर
रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हिम्मत पटेल आत्मज श्री शिवजी भाई पटेल, उम्र 40 वर्ष, निवासी-आरा मशीन रोड, जी. ई. रोड वार्ड नं. 27/29, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम डायालाल पटेल आ. शिवजी भाई पटेल था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम हिम्मत पटेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हिम्मत पटेल आत्मज श्री शिवजी भाई पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

डायालाल पटेल
आत्मज-श्री शिवजी भाई पटेल
निवासी-टिम्बर मार्केट, जी. ई. रोड, वार्ड नं. 29
आरा मशीन लाइन राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

हिम्मत पटेल
आत्मज-श्री शिवजी भाई पटेल
निवासी-टिम्बर मार्केट, जी. ई. रोड, वार्ड नं. 29
आरा मशीन लाइन राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय कुमार भट्नागर पिता श्री ज्ञानीराम भट्नागर, उम्र 32 वर्ष, जाति वाल्मीक, निवासी-श्री सांई आस्था किराना स्टोर्स, कलिंग नगर, संतरामदास वार्ड क्र. 19, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम अजय कुमार भन्नेट पिता श्री ज्ञानीराम भन्नेट था जो मेरे समस्त दस्तावेज, स्कूल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, पैनकार्ड, बैंक, बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्ड में अंकित है. मैं अपने उपनाम 'भन्नेट ' को परिवर्तित कर नया नाम अजय कुमार भट्नागर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अजय कुमार भट्नागर पिता श्री ज्ञानीराम भट्नागर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अजय कुमार भन्नेट
पिता-श्री ज्ञानीराम भन्नेट
निवासी-श्री सांई आस्था किराना एण्ड
प्रोविजन स्टोर्स, कलिंग नगर,
तिरंगा चौक, सी. एस. ई. बी. रोड,
संतरामदास वार्ड क्र. 19, गुढ़ियारी
रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

अजय कुमार भट्नागर
पिता-श्री ज्ञानीराम भट्नागर
निवासी-श्री सांई आस्था किराना एण्ड
प्रोविजन स्टोर्स, कलिंग नगर,
तिरंगा चौक, सी. एस. ई. बी. रोड,
संतरामदास वार्ड क्र. 19, गुढ़ियारी
रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2015

प्र. क्र./13/ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/13/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमति ऐश्वर्या हाडा साकिन ए- 33, सेक्शन-1 शंकर नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर द्वारा "अन्नपूर्णा ट्रस्ट" पता ए-33, सेक्शन-1 शंकर नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा- 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"अन्नपूर्णा ट्रस्ट" पता ए-33, सेक्शन-1 शंकर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	10,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 03-11-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 29-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयन अधिकारी, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

खैरागढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2015

क्रमांक/1786/प्र-1/अ.वि.अ./2015.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मंजू बच्छावत फाउन्डेशन ट्रस्ट, हास्पिटल रोड, खैरागढ़ (छ. ग.) और कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक श्री महेन्द्र कुमार बच्छावत निर्माणकर्त्ता, प्रबंधक एवं संस्थापक ट्रस्टी निवासी-2वी, वाइसराय बिल्डिंग, ठाकुर विलेज, कान्दीवली मुंबई (महाराष्ट्र) द्वारा प्रारूप तीन नियम 4(2) ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संस्था का लोक न्याय के रूप में पंजीयन करने हेतु आवदेन पेश किया है.

अतएव मंजू बच्छावत फाउन्डेशन ट्रस्ट, हास्पिटल रोड, खैरागढ़ (छ. ग.) को न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने में किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना आक्षेप ईश्तहार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में प्राप्त आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 17-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी.

खैरागढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2015

क्रमांक/1788/प्र-1/अ.वि.अ./2015.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मंदिर रूखड़ स्वामी ट्रस्ट प्रबंधक समिति खैरागढ़ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी खैरागढ़ के प्रकरण क्र. 01-33/9 वर्ष 1953-54 पारित आदेश दिनांक सितंबर 1955 की छाया प्रति प्रस्तुत कर धारा 7 एवं 26 छ. ग. न्यास ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संस्था का लोक न्याय के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पेश किया है.

अतएव उक्त ट्रस्ट को न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने में किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना आक्षेप ईश्तहार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में प्राप्त आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 17-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी.

पी. एस. ध्रुव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2015

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक /उ. प. ज./परिसमापन/2015/374 .—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/414 दिनांक 09-09-2014 के द्वारा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित बालाजी वार्ड, जगदलपुर विकासखंड जगदलपुर, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./बी. टी. आर./389 दिनांक 08-11-1996 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार, स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 23-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2015

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक /उ. प. ज./परिसमापन/2015/385 .—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/414 दिनांक 09-09-2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. धनपूंजी, विकासखंड जगदलपुर, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./बी. टी. आर./448 दिनांक 18-07-2001 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार, स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 24-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.